



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 14 जुलाई, 2020

आषाढ़ 23, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

पंचायतीराज अनुभाग-2

संख्या 1425/33-2-2020-80जी-2000

लखनऊ, 14 जुलाई, 2020

अधिसूचना

सा0प0नि0-44

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33 सन् 1961) की धारा 117 की उपधारा (2) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 237 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद निर्माण कार्य नियमावली, 1984 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद निर्माण कार्य (प्रथम संशोधन)
नियमावली, 2020

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद निर्माण कार्य (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2020 कही जाएगी।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशन किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद निर्माण कार्य नियमावली 1984 में, शीर्षक, उपशीर्षक और संक्षिप्त नाम सहित शब्द "क्षेत्र समिति" तथा "जिला परिषद" जहाँ कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द क्रमशः "क्षेत्र पंचायत" तथा "जिला पंचायत" रख दिये जायेंगे।

सामान्य संशोधन

नियम 18 का
संशोधन

3-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में, दिये गये नियम 18 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

18-अनुमोदित ठेकेदारों का रजिस्टर:-

अनुमोदित ठेकेदारों का एक रजिस्टर प्रपत्र संख्या नि० का०-1 में परिषद या क्षेत्र समिति के कार्यालय में रखा जाएगा। ठेकेदार स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करके और प्रार्थियों के पूर्ववृत्त की जांच करने और यथास्थिति सार्वजनिक निर्माण समिति या कार्यकारिणी का अनुमोदन लेने के पश्चात् अनुमोदित किए जाएंगे। किसी परिषद या क्षेत्र समिति के निर्माण कार्यों का निष्पादन करने के लिए अनुमोदित प्रत्येक ठेकेदार से अपेक्षा की जाएगी कि अनुमोदित ठेकेदारों के रजिस्टर में उसका नाम लिखे जाने से पूर्व वह रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रूप में 100 रुपये की धनराशि जमा करें।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

18-ठेकेदारों का रजिस्ट्रीकरण और उनकी अर्हता :-

समस्त जिला पंचायतों में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदारों के अतिरिक्त, राज्य सरकार के सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग में रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार भी जिला पंचायतों के निर्माण कार्य तथा अन्य कार्यों के संबंध में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने हेतु पात्र होंगे और किसी विशिष्ट कार्य के लिए टेण्डर के न्यूनतम होने की दशा में, ठेकेदार से जिला पंचायत में रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ अपेक्षित रजिस्ट्रीकरण शुल्क, डिमाण्ड ड्राफ्ट/ ई-बैंकिंग के माध्यम से जमा कराया जायेगा और जिला पंचायत के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह उस ठेकेदार को एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रीकृत करें और उसे विशिष्ट टेण्डर की निबन्धन और शर्तों के अनुसार प्रतिभूति इत्यादि जमा करने के लिए कहे और जिला पंचायत उसके साथ एक करार निष्पादित करेगा। जिला पंचायत में, ठेकेदारों द्वारा रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रूप में रु० 10,000 (दस हजार रुपये मात्र) की धनराशि जमा की जाएगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1425/XXXIII-2-2020-80G-2000, dated July 14, 2020 :

No. 1425/XXXIII-2-2020-80G-2000

Dated Lucknow, July 14, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 237 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam, 1961 (U.P. Act no. XXXIII of 1961) read with sub-section (2) of section 117 of the said Adhiniyam and section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Work Rules, 1984.

THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS WORK
(FIRST AMENDMENT) RULES, 2020

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Kshetra Samitis and Zila Parishads Work (First Amendment) Rules, 2020. Short title and commencement

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

2. In the Uttar Pradesh Kshetra Samitis and Zila Parishads Work Rules, 1984 *for* the words "Kshetra Samitis and Zila Parishads" wherever occurring including headings, sub-headings and the short title the word "Kshetra Panchayat" and "Zila Panchayat" shall respectively be *substituted*. General amendment

3. In the said rules *for* rule 18 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be *substituted*, namely :- Amendment of rule 18

COLUMN-I
Existing rule

18. Register of approved contractors: -

A register of approved contractors shall be maintained in Form no. W-1 in the office of Parishad or Kshetra Samiti. Contractors shall be approved by inviting applications through advertisement in the local newspapers and after verifying the antecedents of the applicants and obtaining the approval of Sarvajanic Nirman Samiti or Karya Karini, as the case may be. Every contractor approved for execution of the works of a Parishad or a Kshetra Samiti shall be required to deposit a sum of Rs.100 as Registration fee before his name is brought on the register of approved contractor.

COLUMN-II

Rule as hereby substituted

18. Registration and qualification of contractors: -

In addition to the contractors registered in all the Zila Panchayats, the contractors also registered in the irrigation department, public works departments of the State Government will be eligible to participate in the tenders to be invited in regard to the construction and other works of the Zila Panchayats and in case of the tender being lowest for a particular work, the contractor shall be made to deposit required registration fees in the Zila Panchayat for the purpose of registration by means of a demand draft/e-banking and it shall be compulsory for the Zila Panchayat to register that contractor within one week and ask him to deposit security *etc.* according to the terms and conditions of the particular tender and Zila Panchayat shall execute an agreement with him. A sum of Rs. 10000 (Rs. Ten Thousand only) shall be deposited by contractors as registration fees in the Zila Panchayat.

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 119-राजपत्र-2020-(240)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० पंचायती राज-2020-(241)-700 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।